क्रम संख्या–60

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2016 ई0

चैत्र 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 107/XXXVI(3)/2016/11(1)/2016

देहरादून, 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2016)

राज्य मे मदरसा शिक्षा परिषद् की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "परिषद्" से धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्र" से परिषद् द्वारा अपनी परीक्षायें आयोजित करने के लिये नियत की गई संस्था या स्थान अभिप्रेत है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त मुस्लिम शैक्षणिक परिसर आदि भी सम्मिलित है;

(ग) "निदेशक" से निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है; जो पदेन निबन्धक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् भी होगा।

(घ) किसी संस्था के सम्बन्ध में "संस्था के प्रधान" से उस संस्था के, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक अभिप्रेत है;

(ङ.) "निरीक्षक" से निरीक्षक, अरबी–फारसी मदरसा, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है;

(च) "संस्था" से मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित और मदरसा शिक्षा प्रदान करने के लिये बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कोई मदरसा अभिप्रेत है;

(छ) "विधायक" से राज्य विधान सभा के कोई सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ज) "मदरसा शिक्षा" से अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक अध्ययन, तिब्ब, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र की शिक्षा अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विद्या की ऐसी अन्य शाखायें भी हैं जिन्हें समय–समय पर परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;

(झ) "अन्तरीक्षक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे;

(ञ) "मान्यता" से परिषद् की परीक्षाओं में बैठने के लिये अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गई मान्यता अभिप्रेत है;

(ट) "उपनिबन्धक" से उपनिबन्धक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ठ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(ड) "निबन्धक" से परिषद् के निबन्धक अभिप्रेत हैं;

(ढ) "केन्द्र अधीक्षक" से परिषद् की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिये परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसमें अपर अधीक्षक भी सम्मिलित है;

(ण) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में जब किसी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा हो, "अनुचित साधन" से अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता या किसी रूप में लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता या किसी टेलीफोन, वायरलैस या इलैक्ट्रोनिक या अन्य यन्त्र या जुगत का अप्राधिकृत प्रयोग अभिप्रेत है।

परिषद् का गठन

3(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, देहरादून में उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जायेगी।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:—

(क) परम्परागत मदरसा शिक्षा के क्षेत्र का एक प्रख्यात मुस्लिम शिक्षाविद् या प्रतिष्ठित मुस्लिम समाज सेवी, जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और जो परिषद् का "अध्यक्ष" होगा;

(ख) निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा, जो परिषद् का उपाध्यक्ष होगा;

(ग) एक सदस्य उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित मान्यता प्राप्त उच्च आलिया/आलिया स्तर की प्रतिष्ठित मुस्लिम शैक्षिक संस्था का प्रधानाचार्य, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा।

(घ) उत्तराखण्ड विधि द्वारा स्थापित उर्दू विश्वविद्यालय अथवा अन्य केन्द्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, दिल्ली अथवा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़) या उससे सम्बद्ध महाविद्यालय से चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षाविद् जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा।

(ङ) एक सुन्नी मुस्लिम राज्य विधानसभा सदस्य, जिसे विधान सभा द्वारा निर्वाचित किया जायेगा,

(च) एक शिया मुस्लिम राज्य विधानसभा सदस्य, जिसे विधान सभा द्वारा निर्वाचित किया जायेगा,

(छ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का एक प्रतिनिधि;

(ज) सुन्नी मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान/अध्यापक में से एक सुन्नी सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट होंगे;

(झ) शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान/अध्यापक में से एक शिया सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट होंगे;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट संस्था का एक विज्ञान या तिब(आयुष) अध्यापक;

(ट) अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड/उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् का वित्त एवं लेखा अधिकारी;

(ठ) निरीक्षक; अरबी–फारसी मदरसा, उत्तराखण्ड;

(ड) उप निबन्धक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (पदेन) के संयोजक सदस्य होंगे।

(4) परिषद् के सदस्यों का नाम निर्वाचन और नाम निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि परिषद् का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है:

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (3) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के निर्वाचन के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है।

(5) (क) जहां राज्य विधान सभा में मात्र एक शिया सदस्य या मात्र एक सुन्नी सदस्य हो तो प्रत्येक का नाम–निर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ख) यदि राज्य विधान सभा में कोई शिया सदस्य उपलब्ध न हो तो दो सुन्नी मुस्लिम विधायकों को परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा और ऐसे विधायकों में से एक विधायक के नाम–निर्देशन पत्र में यह उल्लिखित किया जाएगा कि वह उस दिनांक से परिषद् के

सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा जिस दिनांक से कोई शिया मुस्लिम विधायक परिषद् के सदस्य के रूप में पद ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार सुन्नी मुस्लिम विधायकों की अनुपलब्धता की स्थिति में दो शिया मुस्लिम विधायकों को परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जायेगा और ऐसे शिया विधायकों में से एक विधायक के नाम–निर्देशन पत्र में यह उल्लिखित किया जायेगा कि वह किसी सुन्नी मुस्लिम विधायक द्वारा परिषद् के सदस्य के पद का शपथ किये जाने के दिनांक से परिषद् के सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।

(ग) यदि राज्य विधान सभा में मुस्लिम सदस्य नहीं है, वहां भूतपूर्व मुस्लिम विधान सभा सदस्य का नाम राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन परिषद् की स्थापना के दिनांक को और से, ऐसे स्थापन के ठीक पूर्व कार्य कर रहे, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, एतद्पश्चात, जिसे पूर्व में बोर्ड कहा गया है, विघटित हो जाएगा और ऐसे विघटन पर–

(क) पूर्व परिषद् की सभी सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां परिषद् को अन्तरित और उनमें निहित हो जायेगी;

(ख) पूर्व परिषद् के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यतायें चाहे संविदात्मक हो या अन्यथा हो, परिषद् को अन्तरित हो जायेंगी;

(ग) पूर्व परिषद् के सभी अधिकारी और कर्मचारी उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और सेवानिवृत्त लाभों और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ जो ऐसे विघटन के ठीक पूर्व उनपर प्रयोज्य होते, परिषद् के अधिकारी और कर्मचारी हो जायेंगे, जब तक परिषद् के अधीन उनका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त न कर दिया जाये या जब तक उनके पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों में सम्यक रूप से ऐसा परिवर्तन कर दिया जाये जो उनके लिये अलाभकर न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व परिषद् का कोई अधिकारी या कर्मचारी, ऐसे विघटन से 30 दिन की अवधि के भीतर तामील की गई, बोर्ड को सम्बोधित, नोटिस देकर परिषद् का अधिकारी या कर्मचारी न बनने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, उस समय तक उसके द्वारा धृत पद समाप्त हो जायेगा और उसकी सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उसे प्रतिकर के रूप में उसके तीन माह के वेतन के समतुल्य धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

सदस्यों का हटाया जाना

4. राज्य सरकार परिषद् से पदेन सदस्य से भिन्न, किसी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरूपयोग किया हो कि जिससे परिषद् के सदस्य के रूप में उसका बना रहना जनहित के लिये हानिकर हो:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को उपरोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

सदस्यों की पदावधि

5(1) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त किसी सदस्य की पदावधि धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से 3 वर्ष होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 3 की उपधारा (5) की खण्ड (ख) की दशा में यह उप धारा लागू नहीं होगी। और अवधि का निर्धारण उक्त खण्ड के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे समस्त सदस्यों के पद की अवधि एक बार में छः मास से अधिक समय के लिये इस प्रकार बढा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढाई गई अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो।

(2) परिषद् का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान उसके उपरान्त रिक्त हो जायेगा।

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों को भरा जाना

6. राज्य सरकार धारा 5 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के तीन माह पूर्व परिषद् के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी।

परिषद् की बैठक

7(1) परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए वह अपनी बैठकों में कार्य सम्पादन करने के लिये, जिसके अन्तर्गत बैठकों की गणपूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जिनकी व्यवस्था इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा की जाए।

(2) अध्यक्ष परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में परिषद् का उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। जब अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो खण्ड (ड.) या खण्ड (च) के अधीन निर्वाचित कोई ज्येष्ठ सदस्य अध्यक्ष होगा और वह बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद् की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और मतों के बराबर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियां अविधिमान्य न होगी

8. परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही परिषद् या समिति में केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

परिषद् का कृत्य

9. इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी अर्थातः–

(क) तहतानियां (प्राथमिक), फौकानियां (उच्च प्राथमिक), मुन्शी (पूर्व माध्यमिक–फारसी), मौलवी(पूर्व माध्यमिक–अरबी), आलिम (माध्यमिक), कामिल (स्नातक), फाजिल (परास्नातक) और अन्य पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री यदि कोई हो, विनियम द्वारा विहित करना;

(ख) अरबी–फारसी मदरसों में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट स्तर के कक्षाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा उनके लिये अवधारित पाठ्यक्रम के अनुसार अरबी, उर्दू और फारसी के पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री विनियम द्वारा विहित करना;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पाठ्य पुस्तकों, अन्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री की, उनमें से सामग्री का पूर्णतः या अंशतः या अन्यथा अपवर्जन करके, पाण्डुलिपि तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना;

(घ) राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति के लिये मानक विहित करना और नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र या अन्य विद्या सम्बन्धी सम्मान प्रदान करना, जिन्होंने–

(एक) ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो जिसे परिषद् द्वारा विशेषाधिकार या मान्यता प्रदान की गयी हो;

(दो) विनियमों में निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया और उन्हीं शर्तों के अधीन परिषद् की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(च) मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का संचालन करना;

(छ) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजन के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;

(ज) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;

(झ) ऐसा शुल्क मांगना और प्राप्त करना जो विनियमो में विहित किया जाये;

(ञ) अपनी परीक्षाओं के परिणाम पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;

(ट) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जो परिषद् अवधारित करे;

(ठ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिये आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे मे निदेशक से रिपोर्ट मांगना;

(ड) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना जिससे वह सम्बन्धित हो;

(ढ) बजट में सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;

(ण) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों को करना जो फाजिल तक की मदरसा शिक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिये एक निकाय के रूप में गठित किये गये परिषद् के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित हों;

(त) मदरसा शिक्षा की किसी शाखा या ऐसी किसी अन्य संस्था में जिसे राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करे, अनुसंधान या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(थ) तहतहानियां या फौकानियां स्तर तक शिक्षा के लिये जिला स्तर पर न्यूनतम तीन सदस्यों से बनी एक समिति का गठन करना और ऐसी समिति को अपने नियन्त्रणाधीन शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित करना;

(द) ऐसी सभी कार्यवाई करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी शक्ति के प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन या कर्तव्य का पालन करने के लिये आवश्यक या सुविधाजनक या आनुषंगिक हो;

परिषद् की शक्तियां

10(1) परिषद् को इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए वे सभी शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन या कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक हों।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वाक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् के निम्नलिखित अधिकार होंगे:–

(एक) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षाफल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वर्जित कर देना जिसे,

(क) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने, या

(ख) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये प्रार्थना–पत्र में कोई असत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य छिपाने का, या

(ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरूपण का, या

(घ) ऐसी परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का, या

(ङ) परीक्षा के दौरान किसी घोर अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया हो।

(दो) खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) से (घ) तक मे उल्लिखित सभी या किन्हीं कृत्यों के लिये या परीक्षाफल की घोषणा में परिषद् की किसी सद्भावना पूर्ण भूल के कारण किसी अभ्यर्थी का परीक्षाफल रद्द करना,

(तीन) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये शुल्क नियत करना और उसकी वसूल करने की रीति विहित करना,

(चार) किसी ऐसी संस्था को मान्यता देने से इनकार करना जो–

(क) कर्मचारीवर्ग, शिक्षण, उपस्कर या इमारत के लिये परिषद् द्वारा इस निमित्त निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा उन तक नहीं पहुंचती है, या

(ख) परिषद् द्वारा इस निमित्त निर्धारित मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती,

(पांच) ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेना जो कर्मचारीवर्ग, शिक्षण, उपस्कर या इमारत के लिये परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उसके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती या जो परिषद् के सन्तोषानुसार मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती,

(छः) परिषद् के नियमों या विनियमों या विनिश्चयों, अनुदेशों या निदेशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन मांगना और परिषद् के नियमों और विनियमों या विनिश्चय, अनुदेशों या निदेशों को प्रवृत्त करने के लिये ऐसी रीति से उचित कार्यवाही करना जो विनियमों द्वारा विहित की जाये,

(सात) यह सुनिश्चित करने के लिये संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाये और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाये तथा उनका यथोचित उपयोग हो, और

(आठ) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना, जो किसी संस्था में पाठ्यक्रमों के लिये भर्ती की जा सकें।

(3) उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित समस्त मामलों में परिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा।

किसी नये विषय मे या उच्च कक्षा के लिये किसी संस्था को मान्यता

11. धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (4) के उपखण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी उच्च कक्षा के लिये किसी नये विषय या विषय समूह में किसी संस्था को मान्यता प्रदान कर सकती है।

दान का उचित उपयोग

12. जहां किसी संस्था द्वारा अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह संस्था को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा उसी रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में नकद, अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा किया जायेगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राज्य सरकार की शक्ति

13(1) राज्य सरकार को परिषद् द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में परिषद् को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे परिषद् सम्बन्धित हो, परिषद् को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा।

(2) परिषद, राज्य सरकार को उसके पत्र व्यवहार पर प्रस्तावित की गई अथवा की जाने वाली ऐसी कार्यवाही, यदि कोई हो, को सूचित करेगी।

(3) यदि परिषद् युक्ति–युक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के निमित्त कार्यवाही न करे तो विहित अवधि मे परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह परिषद् को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश दिये बिना इस अधिनियम से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे और विशिष्टता ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तद्नुसार परिषद् को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

परिषद् के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

14. इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के योग्य बनाने के प्रयोजनार्थ परिषद्, उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी।

परिषद् के अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

15(1) परिषद् के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह अवलोकित करना सुनिश्चित करें कि इस अधिनियम का और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

(2) परिषद् का अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

निदेशक/रजिस्ट्रार की शक्तियाँ और कर्तव्य

16(1) परिषद् का निदेशक/रजिस्ट्रार, परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियन्त्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए उसके विनिश्चयों के निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें और विशेषतया, वह–

(क) वार्षिक प्राक्कलन और लेखा विवरण तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा,

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनो के लिये व्यय की जायें जिनके लिये वे स्वीकृत या प्रदिष्ट की गई हों,

(ग) परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिये उत्तरदायी होगा,

(घ) परीक्षाओं के संचालन के लिये ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हों,

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियम द्वारा विहित की जायें।

समितियों और उपसमितियों की नियुक्ति और गठन

17(1) परिषद् निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगी, अर्थात–

(क) पाठ्यचर्या समिति,

(ख) पाठ्यक्रम समिति,

(ग) परीक्षा समिति,

(घ) परीक्षाफल समिति,

(ङ) मान्यता समिति, और

(च) वित्त समिति।

(2) ऐसी समिति में केवल परिषद् के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इनका गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके,

(क) संस्थाओं का प्रधान,

(ख) संस्थाओं के अध्यापक,

(ग) शिक्षाविद्:

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् का कोई सदस्य इन समितियो में से एक से अधिक समिति का सदस्य नहीं होगा और समिति के सदस्यों का कार्यकाल परिषद् की सदस्यता की समाप्ति के साथ समाप्त हो जायेगा।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त परिषद् ऐसी अन्य समितियां या उपसमितियां, जो विनियम द्वारा विहित की जायें, नियुक्त कर सकती है।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समितियों और उपसमितियों का गठन ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर होगा, जो विनियम द्वारा विहित किये जायें।

प्रत्यायोजन की शक्ति

18. परिषद्, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम की अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या ऐसी समिति या अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें निर्दिष्ट की जाए, किया जा सकता है।

केन्द्र अधीक्षक और अन्तरीक्षक लोक सेवक होंगे।

19. केन्द्र अधीक्षक और अन्तरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

परिषद् का विनियम बनाने की शक्ति

20(1) परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विनियम बना सकती है।

(2) विशेषतयाः पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है, अर्थात्:–

(क) समितियों और उपसमितियों का गठन उनकी शक्ति और कर्त्तव्य,

(ख) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा प्रमाण पत्रों का प्रदान किया जाना,

(ग) संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्तें,

(घ) समस्त उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों के निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम,

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं और अनुसंधान कार्यक्रम में प्रविष्टि किये जायेंगे, और उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के पाने के पात्र होंगे,

(च) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश एवं प्रमाणपत्रों के लिए शुल्क,

(छ) परीक्षाओं का संचालन,

(ज) परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, परिस्कारकों, तुलनाकारों, परिनिरीक्षकों, सारिणीकारों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों और अन्तरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी शक्ति और कर्त्तव्य और उनके परिश्रमिक की दरें,

(झ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना और मान्यता का वापस लिया जाना,

(ञ) ऐसे समस्त विषय जिनकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों का प्रकाशन और पूर्व अनुमोदन

21(1) धारा 20 के अधीन समस्त विनियम केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाये जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को उपान्तरण सहित या रहित अनुमोदित कर सकेगी।

प्रशासन की योजना

22(1) किसी विधि, दस्तावेज या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश या अन्य लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन की योजना होगी, चाहे उस संस्था को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गई हो या उसके बाद में। प्रशासन की योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ एक प्रबन्ध समिति के संगठन की व्यवस्था की जाएगी जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान और मुस्लिम अल्पसंख्यक के दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी–बारी से विनियम द्वारा विहित रीति से चयनित किये जाएगें, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे जिन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(2) जब कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से संबन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो, वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) किसी विनियम के अधीन रहते हुए, प्रशासन की योजना में संस्था के प्रधान और संस्था के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति की अलग–अलग शक्ति, कर्त्तव्य और कृत्यों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग–अलग प्रबन्ध समिति होगी, जब तक कि विनियम में संस्थाओं के किसी वर्ग के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन की योजना परिषद् के अनुमोदन के अधीन होगी और प्रशासन की योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी संस्था का प्रबन्धन प्रशासन की योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के परिषद् के आदेश से व्यथित हो वहां राज्य सरकार प्रबन्धन के अभ्यावेदन पर यदि उसका यह समाधान हो जाए कि प्रशासन की योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह परिषद् को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त परिषद् तद्नुसार कार्यवाही करेगी।

(6) प्रत्येक संस्था का प्रशासन और प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा–(5) के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन की योजना के अनुसार किया जाएगा।

(7) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त संस्था के मामले में प्रशासन की योजना का एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसे, मान्यता के लिए आवेदन पत्र के साथ ऐसे प्रारम्भ से छः मास के भीतर परिषद् को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) यदि कोई संस्था उपधारा (7) के उपबन्धों का, उसके लिए उपबन्धित अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहती है तो परिषद् ऐसी संस्था से, लिखित नोटिस द्वारा तीन मास की अग्रतर अवधि के भीतर प्रशासन की योजना को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पूर्व संस्था द्वारा किसी अभ्यावेदन पर परिषद् अपने विवेक से तीन मास की अवधि किन्तु उससे अधिक नहीं, के लिए अग्रतर विस्तार की अनुज्ञा दे सकती है और संस्था की प्रबन्ध समिति ऐसी अग्रतर बढ़ाई गई अवधि में इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करेगी।

संस्था के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया

23. इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी संस्था के प्रधान, अध्यापक और अन्य कर्मचारी विनियम के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे।

संस्था के प्रधानाध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें

24(1) किसी संस्था के प्रधान अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसी विनियम द्वारा विहित की जाए और प्रबन्ध समिति और यथा स्थिति ऐसी संस्था के प्रधान, अध्यापक या कर्मचारियों के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से या विनियम से असंगत हो, शून्य होगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियम में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) आचार संहिता, परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें, जिसके अन्तर्गत जांच का निलम्बन या लम्ब या अपूर्णता नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए किसी दाण्डिक मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण किये जाने तक निलम्बन सम्मिलित है तथा निलम्बन की अवधि के लिए भत्ते और नोटिस देकर सेवा का समाप्त किया जाना सम्मिलित है,

(ख) वेतनमान और वेतनों का भुगतान,

(ग) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि और अन्य लाभ, और

(घ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।

आकस्मिक रिक्तियां

25. परिषद् के या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के पदेन सदस्यों, भिन्न अन्य सदस्यों में से होने वाली आकस्मिक समस्त रिक्तियाँ यथाशाक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने उस सदस्य को निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किया हो जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी आकस्मिक रिक्ति के लिए निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति, परिषद् या समिति का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई हो।

परिषद् और समितियों की उपविधियां बनाने की शक्ति

26(1) परिषद् और उसकी समितियां इस अधिनियम, नियमों और विनियमों से संगत उपविधियां बना सकेगी, जिनमें–

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति सृजित करने के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाए,

(ख) ऐसी समस्त विषयों की व्यवस्था की जाए जिनकी उपविधियों के लिए व्यवस्था की जानी हो, या की जा सके,

(ग) केवल परिषद् और उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाए जिनकी इस अधिनियम, नियमों और विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गई हो।

(2) परिषद् और उसकी समितियां, परिषद् या समिति के सदस्यों को, परिषद् या समिति की बैठकों के दिनांक और बैठकों में विचार किये जाने वाले कार्य की सूचना देने और बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उपविधियां बनायेंगी।

(3) परिषद् समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गई किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निदेश दे सकती है और समिति ऐसे निदेश को कार्यान्वित करेगी।

सद्भावना से किये गये कार्यों के लिये संरक्षण

27. राज्य सरकार, परिषद् या उसकी किसी समिति और उप समिति या परिषद् या किसी समिति या उप समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम, विनियम, उपविधि, आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

28. इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में परिषद् या उसकी किसी समिति या उपसमिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

परिषद् की निधि

29(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जायेंगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त उद्देश्यों या प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

30(1) परिषद्, उचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे वार्षिक लेखा विवरण पत्र तैयार करेगी।

(2) परिषद् एक वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अग्रसारित किये जायेंगे।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

31(1) यदि, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो कर सकती है जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तराखण्ड अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

नियम बनाने की शक्ति

32. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 107/XXXVI(3)/2016/11(1)/2016
Dated Dehradun, March 31, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Madarsa Education Board Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 06 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 March, 2016.